विविध

निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 132/2024
दायरा दिनांकः—01.10.2024
निर्णय दिनांकः— 28.4.25

उनवान

1. निरंजन आयु 45 वर्ष पुत्र प्रभुलाल जाति किराड निवासी ग्राम रूपारेल तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. हरिप्रसाद आयु 55 वर्ष पुत्र पन्नालाल जाति किराड निवासी ग्राम रूपारेल तहसील छबडा जिला बारां (राज0) हाल मुकाम सी—16ए वेदविला कॉलोनी रामनगर विस्तार सोडाला जयपुर
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 88,188,आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 28.4.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री अजय श्रीवास्तव — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 237/2 रकबा 0.0885 हैक्टयर, वाके माल रूपारेल पटवार हल्का भूलोन तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान मे स्थित है जो प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी एव राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आ रही है। जिसे आगे विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया। विवादग्रस्त आराजी को वादी ने प्रतिवादी कम 1 के पिता पन्नालाल पुत्र बलदेव जाति किराड़ निवासी ग्राम रूपारेल से जर्ये विकय पत्र दिनांक 08/08/2005 को रूबरू गवाहान कय कर लिया था। तब से ही कय शुदा आराजी पर वादी बेहेसियत मालिक एव काबिज काश्त चला आ रहा है तथा आज दिन तक बिना कोई रूकावट के निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। वाद पत्र के साथ जमाबंदी सम्वत 2075 2078 सलंग्न है। प्रतिवादी कम 1 के पिता पन्ना पुत्र बलदेव किराड़ निवासी ग्राम रूपारेल का अर्सा करीब 15—16 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो जाने से विवादित आराजी का इन्तकाल प्रतिवादी 1 के पक्ष में तस्दीक हो चुका है इस कारण से प्रतिवादी की नियत मे बदयान्ति आ गई है तथा प्रतिवादी उक्त विवाद ग्रस्त आराजी को अन्यत्र कही भी रहन, बेचान, दान आदि करने को आमादा है यदि प्रतिवादी अपनी इच्छा में कामयाब हो गये तो वादी को अनेकानेक दावो झगडो में उलझना पडेगा। जिससे वादी को काफी आर्थिक क्षति होगी। वादी ने कई बार राजस्व कर्मचारियो से जर्ये

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

विक्रय पत्र विवादग्रस्त आराजी का इन्तकाल वादी के नाम खोलने का निवेदन किया परन्तु राजस्व कर्मचारियो ने इन्तकाल खोलने में असमर्थता जाहिर की। एंव आना कानी की। इस कारण से वादी के पास माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम रूपारेल सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 14 प्रर्दश 1 नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.08.2005 प्रर्दश 2 पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 निरंजन एवं PW2 गुलाब सिंह के बयान करायें गयें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रूपारेल तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रतिवादी क्रम 1 के खातेदारी एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 के पिता पन्नालाल पुत्र बल्देव जाति किराड निवासी रूपारेल से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.08.2005 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। तभी से वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रतिवादी का पिता पन्ना पुत्र बल्देव किराड निवासी रूपारेल का स्वर्गवास लगभग 15–16 वर्ष पूर्व हो गया था विवादित आराजी फोती नामान्तरण से प्रतिवादी के नाम दर्ज की गई। तथा वादी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा नामान्तरण दर्ज नही करवाया गया। विवादित भूमि प्रतिवादी के नाम दर्ज होने का फायदा उठाना चाहता है वह विवादित आराजी को रहन बेचान, दान करने पर आमादा है प्रतिवादी द्वारा भूमि का रहन बेचान व दान कर दिया तो वादी को आर्थिक क्षति होगी। वादी का वाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रूपारेल सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 14 में हरिप्रसाद पुत्र पन्ना जाति किराड के नाम दर्ज है नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.08.2005 प्रर्दश 2A के अनुसार खातेदार पन्ना पुत्र बल्देव जाति किराड निवासी रूपारेल तहसील छबडा द्वारा खसरा नम्बर 237/2 रकबा 1.14 बीघा में से 8 बिस्वा भूमि का बेचान निरंजन पुत्र प्रभुलाल जाति किराड को बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया था। साक्ष्य वादी PW1 निरंजन एवं PW2 गुलाब सिंह के बयानों से भी कब्जा साबित होता है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया था परन्तु रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादी का नामान्तरण दर्ज नही हो पाया। खातेदार की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरण से उसके वारिस प्रतिवादी हरिप्रसाद के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब एवं दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही कियें जिससे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र गलत साबित हो सकें। प्रस्तुत वाद में वादी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर सद्भाविक क्रेता है तथा विवादित आराजी के खसरा नम्बर 327/2 में से 8 बिस्वा भूमि को अपने

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नाम दर्ज कराने का अधिकार रखता है। अर्थात् प्रार्थी द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष स्वीकार किया जाना न्यायोचित है परन्तु प्रार्थी उक्त भूमि में सह खातेदार होने के कारण स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम रूपारेल तहसील छबडा के खसरा नम्बर 237/2 रकबा 1.14 बीघा में से 8 बिस्वा भूमि का वादी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 132 / 2024	धारा ,88,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः— 28.04.2025
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः—श्री अजय श्रीवास्तव		अभिभाषक प्रतिवादीः—

वाद शीर्षक

उनवान

1. निरंजन आयु 45 वर्ष पुत्र प्रभुलाल जाति किराड निवासी ग्राम रूपारेल तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. हरिप्रसाद आयु 55 वर्ष पुत्र पन्नालाल जाति किराड निवासी ग्राम रूपारेल तहसील छबडा जिला बारां (राज0) हाल मुकाम सी—16ए वेदविला कॉलोनी रामनगर विस्तार सोडाला जयपुर
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम रूपारेल तहसील छबडा के खसरा नम्बर 237 / 2 रकबा 1.14 बीघा में से 8 बिस्वा भूमि का वादी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 28.04.2025 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला—बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	व्याज (:)		
10.	योग		